भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 163B/2017-18

1.मिनती देवी 2.सिंदू देवी **बनाम** रितु महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
5-3-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1130 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 163 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.मिनती देवी पति स्व0 जोगेश्वर महतो 2. सिंदु देवी पति स्व0 महेश्वर महतो ग्राम–बॉधडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता रितु महतो पिता स्व0 विक्रम महतो, ग्राम–बांधडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बाँधडीह	245	47	108	0.09एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के ससुर के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। बिक्रेताओं के पास 2.56 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.09 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.47 एकड़ भूमि बचता है। आवेदकों की संख्या दो है। प्रति आवेदक के हिस्से में 1.23 एकड़ होता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में 0.09 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

05/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner